

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.19(11)शिक्षा-2/2019 पार्ट-3 जयपुर, दिनांक-09.02.2022 एवं इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 20.02.2018 के क्रम में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों के लिए जारी पदस्थापन आदेश में चयनित निम्नांकित कार्मिक का पदस्थापन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम एवं मूलपद	प्रतिनियुक्ति पर चयनित पद एवं स्थान	निदेशालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एवं दिनांक	क्रम संख्या
1	श्रीमती निशी जैन, व्याख्याता-जीव विज्ञान,	शैक्षिक अधिकारी, राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर	क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/प्रतिनियुक्ति/राज.स्टेट ऑपन स्कूल/2018 दिनांक 20.02.2018	02

उक्त कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल कार्यमुक्त होकर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर में कार्यग्रहण कर पालना सुनिश्चित करें।

P1
(काना राम)
आईएएस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था-4/सी-8/समसा-मॉडल स्कूल/2021 दिनांक-14.2.2022
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (गुप-2) विभाग, जयपुर को अनुमोदनार्थ।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
5. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक)।
7. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी।
8. संबंधित अधिकारी।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर